दैनिक
न्याय साक्षी

महत्वपूर्ण एवं खास

गुम बालक को डायल 112 स्टाफ ने किया परिजनों के सुपुर्द

बिस्कीट लेने दुकान गया था, रास्ता भटक कर पहुंचा था ढाबे के पास

न्याय साक्षी/रायगढ़। डॉयल 112 को सारंगढ़ राइनों को ग्राम छिंद में गुम बालक मिलने का इवेंट मिला। इवेंट पर डॉयल 112 सारंगढ राइनो ईआरव्ही वाहन में आरक्षक हरिलाल टंडन और घनश्याम बरेठ ग्राम छिन्द साहू ढाबा के पास पहुंचे। जहां 03 साल का बच्चा रास्ता भटक कर ढाबा के पास आ गया था। आरक्षकों द्वारा बालक का नाम, पता पुछने पर बालक नहीं बता पा रहा था। दोनों आरक्षकों ने बालक को खाना खिलाये और ईआरव्ही वाहन में बिठाकर आसपास के 4-5 गांव में बालक के संबंध में पूछताछ किये तभी उन्हें पता चला कि ग्राम मंधाईभांठा थाना सरसींवा का एक व्यक्ति एक छोटे बच्चे को ढुढ रहा है। तब डॉयल 112 आरक्षक ग्राम मंधाईभांठा गये। गांववालों ने बच्चे को देखकर पहचान लिया और डॉयल 112 स्टाफ को बालक के घर लेकर गये। आरक्षकों ने गांवों में पंचो के समक्ष लिखित सुपुर्दनामा पर बालक को उसके माता-पिता को दिये। बालक के पिता उमेश रात्रे पिता सुभाष रात्रे उम्र 22 वर्ष ग्राम मंधाईभांठा थाना सरसींवा जिला बलौदाबाजार ने बताया कि उनका पुत्र राहुल रात्रे (03 साल) सुबह अकेले दुकान बिस्कीट लेने गया था, जहां से रास्ता भटक कर कहीं चला गया था।

90 लीटर देशी शराब एक मोटरसाइकिल सहित एक आरोपी गिरफ्तार

न्याय साक्षी/रायगढ़। थाना सरिया को मुखबीर की सूचना पर उड़ीसा प्रान्त से तस्करी कर देशी शराब ला रहे मधुसूदन यादव पिता धरम सिंग यादव उम्र 25 वर्ष निवासी बड़े नवापारा को ग्राम छोटे आमकोनी मेन रोड पर हीरो स्प्लेंडर क्र सीजी-13-व्हीएक्स-9704 व 90 लीटर देशी शराब कीमत 18 हजार सहित पकड़ कर गिरफ्तार किया गया तथा अपराध क्र 78/19 धारा 34(2)59(क) आबकारी अधिनियम कायम किया गया।

स्वरोजगार योजना अंतर्गत एसटी एवं एससी वर्गो के लिए आवेदन आमंत्रित

न्याय साक्षी/रायगढ़। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्तियों को स्वयं का व्यवसाय प्रारंभ करने एवं स्वरोजगार से जोडने हेतु शासन द्वारा अंत्योदय एवं आदिवासी स्वरोजगार योजना संचालित की जा रही है। इच्छुक आवेदक कार्यालय कलेक्टर जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति, रायगढ़ कक्ष क्रमांक 94 में आवेदन प्राप्त कर जमा कर सकते है। प्राप्त जानकारी के अनुसार उक्त योजनान्तर्गत व्यवसाय प्रारंभ करने हेतु अधिकतम 1 लाख रुपए ऋण दिया जा सकता है एवं अधिकतम 10 हजार रुपए का अनुदान राशि दी जा सकती है। आवेदक को अनसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग का जाति प्रमाण-पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा मान्य किया हुआ जमा करना होगा। आवेदक की आय ग्रामीण क्षेत्र का निवासी होने पर 40500 रुपए एवं शहरी क्षेत्र का निवासी होने पर 51500 रुपए से अधिक न हो।

जमीनी स्तर से जुड़कर लोगों की समस्याओं का निराकरण करें- जिला पंचायत सीईओ त्रिपाठी

» सारंगढ़ सीएमओ को बिना अनुमति मुख्यालय से बाहर रहने के कारण नोटिस जारी करने के दिए निर्देश » आवेदनों के निराकरण में खानापूर्ति वाले कार्य नहीं चलेंगे

न्याय साक्षी/रायगढ़। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती चंदन संजय त्रिपाठी ने आज साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक में अधिकारियों को निर्देशित करते हुए जमीनी स्तर से जुड़कर कार्य करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि छोटे-छोटे कार्यों के लिए लोगों को अनावश्यक न भटकाएं। लोगों की समस्याओं को गंभीरता से ले और उनका सही निराकरण करने पर जोर दिया। शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता वाली लोक सेवा केन्द्र, नरवा, गरूवा, घुरवा एवं बाड़ी योजना का क्रियान्वयन जिले में बेहतर करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायगढ़ जिले में गौठान एवं चारागाह के कार्यों की सराहना की है। साथ ही किसानों को बाड़ी विकास से लाभान्वित करने के लिए कहा है। जिला पंचायत सीईओ ने एसडीएम एवं तहसीलदार को लोकसेवा केन्द्र के माध्यम से निराकृत आवेदनों की पुन: परीक्षण कर जानकारी अपडेट करने के निर्देश दिए है। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि अपने अधीनस्थ मैदानी अमलों को भी निर्देशित करें कि ग्रामीणजनों के आवेदनों को हल्के में न ले, प्राथमिकता से आवेदनों पर ध्यान देंगे।

साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक में जिला पंचायत सीईओ ने सारंगढ़ सीएमओ को बिना अनुमति मुख्यालय से बाहर रहने और टीएल में अनुपस्थित रहने के कारण संबंधित अधिकारी को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए है। उन्होंने राजस्व अधिकारियों को नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, विवादित नामांतरण के कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ करने हेतु कहा है। उन्होंने रायगढ़ तहसीलदार को हिदायत देते हुए लंबित प्रकरण के संबंध में नाराजगी व्यक्त की और गंभीरता से निराकरण करने के निर्देश दिए। जिला पंचायत सीईओ ने सभी एसडीएम को अपने क्षेत्र के लोक सेवा केन्द्रों का नियमित निरीक्षण करने के निर्देश दिए है। लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों पर तत्काल कार्यवाही करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि आवेदन के निराकरण में खानापूर्ति वाला कार्य नहीं चलेगा। लोगों से रूबरू होकर उनकी समस्याओं को जानना होगा। एसडीएम को अपने ब्लाक में औद्योगिक पार्क (इंडस्ट्रीयल पार्क) और मण्डी के लिए जगह का चिन्हांकन करके जमीन का नक्शा, खसरा एवं बी-1 की जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए है। उन्होंने जनपद सीईओ को नरवा, गरूवा, घुरवा एवं बाड़ी योजना के लिए ऐसे जगह का चिन्हांकन करने के लिए कहा है जहां किसानों को नरवा, बाड़ी, अपने पशुओं को रखने के लिए गौठान की सुविधा एक ही जगह पर मिल सके।

जिला पंचायत सीईओ श्रीमती त्रिपाठी ने एसडीएम एवं जनपद सीइओ को ग्राम पंचायतों में ग्राम सभा के लिए समिति गठित करने के निर्देश दिए है। समिति में 10 से 15 लोग होंगे। जिसमें दो तिहाई अनुसूचित जनजाति के सदस्य, एक तिहाई महिला सदस्य रखने के लिए कहा है।

तेज रफ्तार मारूती ब्रेजा वाहन पल्टी, दुर्घटना में खरसिया का ट्रांसपोर्टर व ड्रायवर घायल

भूपदेवपुर पुलिस की तत्परता से दुर्घटना में घायलों को शीघ्र अस्पताल में भर्ती कराया गया

न्याय साक्षी/रायगढ़। थाना भूपदेवपुर में पदस्थ सउनि चन्दन सिंह नेताम को परसदा मोड के पास एक मारूती कार के पल्टी होने की सूचना मिला। सूचना पर तत्काल सउनि चंदन नेताम घायलों के लिए देव दूत बनकर घटनास्थल पर पहुंचे। जहां एक मारूति ब्रेजा वाहन सीजी 13 यूजे- 5047 पल्टी होने के बाद फिर से सीधी खड़ी हो गई थी, दुर्घटना से वाहन के परखच्चे उड़ गये थे। कार में सवार दो लोग घायल थे।

सउनि चंदन नेताम ने दोनों घायलों को शीघ्र जिंदल अस्पताल ले जाकर भर्ती कराये। घायलों के संबंध में जानकारी मिली कि खरसिया न्यू कालोनी निवासी ट्रांसपोटर राहुल अग्रवाल पिता रमेश अग्रवाल उम्र 30 साल अपने ड्रायवर कन्हैया बरेठ के साथ अपनी कार में ससुराल झारसुगुडा अपने परिवार को लेने जा रहा था।

वाहन को राहुल अग्रवाल चला रहा था तथा ड्राइवर कन्हैया बगल में बैठा था कि परसदा मोड के पास राहुल का वाहन पर नियंत्रण नहीं रहने से वाहन पल्टी हो गई।

कबाड़ गोदामों पर जूटमिल पुलिस की छापेमारी

» एक पिकअप और ट्रक में लोड करीब 13 टन कबाड जप्त

न्याय साक्षी/रायगढ़। जूटमिल पुलिस द्वारा पुलिस अधीक्षक रायगढ़ राजेश कुमार अग्रवाल के दिशा निर्देशन एवं ए.एस.पी. अभिषेक वर्मा व सीएसपी अविनाश सिंह ठाकुर के मार्गदर्शन में मुखबीर सूचना पर गढउमरिया व अमलीभौवना स्थित कबाड दुकान/गोदाम पर छापेमारी की कार्यवाही की गई। गढउमरिया स्थित नाजिम कबाड़ी के दुकान के सामने खड़ी ट्रक ओआर 23 सी-4618 में टिन, ड्रम, लोहा का टुकडा करीब 11 टन मिला। वाहन का चालक धर्नुजय चौबे पिता काशीराम चौबे उम्र 59 वर्ष निवासी शालीमार कोल डिपो शिव हावड़ा वेस्ट बंगाल हाल मुकाम झारसुगुडा साहू पारा थाना बड़वाल जिला झाड़सुगुड़ा द्वारा ट्रक में लोड कबाड के संबंध में पूछताछ में कोई उपयुक्त जानकारी नहीं दिया। वहीं गोदाम के पास खडी एक पिकअप वाहन क्रमांक सीजी 13 एल-1257 मे लोड 1 टन टीना, लोहा टुकडा मय वाहन के वाहन चालक किष्टो यादव पिता हरिराम यादव उम्र 29 वर्ष निवासी हाथीबेड फरसाबहार थाना गुमला जिला जशपुर से जप्त किया गया है। एक अन्य कार्यवाही जूटमिल पुलिस द्वारा अमलीभौना स्कूल के पास स्थित अजय कबाडी के गोदाम में छापेमारी के दौरान की गई जहां इकट्ठे किए गए 01 टन लोहा टिन के टुकडो को जूटमिल पुलिस वाहन के माध्यम से जप्त कर लायी। मौके पर मिले रतन झा पिता स्वर्गीय राम नारायण झा उम्र 57 वर्ष निवासी संगीतराई चौकी जूटमिल के विरुद्ध कार्यवाही की गई है। मौके पर कबाड़ गोदाम के संचालक नहीं मिले जिन्हें तलब किया गया है। उपरोक्त व्यक्तियों के विरुद्ध थाना कोतवाली-जूटमिल में धारा 41(1-4)/379 ता.हि. की कार्यवाही की गई है। मौके पर जप्त किये गये प्लास्टिक के सामनों के दस्तावेजों जांच की जा रही है।

SJU - Contact No. +91 9301915303 E-mail ID- sjunion29@gmail.com

Social Justice Union

Registered with Govt. No. 5526

Join SJU

अधिकार से न्याय तक

आवश्यकता

इस संघ का गठनसम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं0 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईज़र श्री तयामत श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च-न्यायालय), एवं गवर्निंग बोर्ड के सदस्यों कु0 सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐकता श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी लकुन्दे एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जावेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य साथ में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यक्ता, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जावेगा।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां

मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जावेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियों की जावेगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

मुख्य बिन्दु

प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जावेगी।

पीड़ित संपर्क करें

संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु

- संघ पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में महिलाओं के अधिकार, बच्चों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं संवैधानिक तौर के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जावेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जावेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जावेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन् तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
- संघ द्वारा संवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित विभिन्न कार्यक्रम किए जावेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जावेगा।
- संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के भूले बिसरे पर महान विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित करवाएगा।

पढ़िए .... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र

:: Address ::
Behind Stadium
Near Career
School, Raigarh,
C.G.
Pin 496001

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।

Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU

तत्काल आवश्यकता है

न्यायसाक्षी समाचार-पत्र हेतु कम्पयूटर ऑपरेटर, सर्वे करने के लिए, बंडल कार्य हेतु, एवं रिपोर्टर/संवाददाता रायगढ़ एवं जशपुर जिले के लिए तत्काल चाहिए ... संपर्क करें...

न्यायसाक्षी समाचार-पत्र
स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़ छ.ग.
मो. नं. 9039961090

ऑफसेट प्रिंटिंग - न्यूज पेपर प्रिंटिंग

वेस्ट जर्मनी की ऑफसेट मशीन *हेडलबर्ग* से 4 कलर की सभी तरह की प्रिंटिग होती है। प्रिंटिंग जॉब हेतु सम्पर्क करें....

न्यायसाक्षी प्रिंटर्स एण्ड प्रेस
श्रीराम कॉलोनी, स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास,
रायगढ़ छ.ग. मो. नं. 9589876400

न्यायसाक्षी समाचार- पत्र की

खरसिया, सारंगढ़, पुसौर, मनार, घरघोड़ा, धरमजयगढ़, पत्थलगांव लुड़ेग, कांसाबेल, कुनकुरी, जशपुर एवं आसपास के क्षेत्रों में एजेंसी देना है, तत्काल संपर्क करें।

स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़, छ.ग.
संपर्क करें मो.नं. 9039961090

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com RNI NO :- CHHHIN/2018/76480